



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072025-264824
CG-DL-E-19072025-264824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3242]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3315(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उत्तराखंड राज्य में जिलाधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल (NH123(507)) के कि.मी 53.873 से कि.मी.59.700 (खरसोन से भुटगाँव सैक्शन) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH123(507) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH123(507)	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल	नैनबाग	1 खरसोन

		के कि.मी 53.873 से कि.मी 59.7 तक				2	घिल्डिचक
						3	टटोर
						4	खैराड
						5	मरोड
						6	नैनगाँव
						7	भुटगाँव
						8	मेलगढ

[फा. सं. NH-123-UR-2017-18-535]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3315(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 53.873 to km. 59.700 (Kharson to Bhutgaon section) of Collectorate Office, Tehri Garhwal (NH123(507)) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH123(507) in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	ADM, Tehri Garhwal	NH123(507) KM 53.873 TO KM 59.7	UTTARAKHAND	TEHRI GARHWAL	Nainbagh	1	Kharson
						2	Ghildi Chack
						3	Tator
						4	Khairad
						5	Marod
						6	Naingaon
						7	Bhutgaon
						8	MailGarh

[F. No. NH-123-UR-2017-18-535]

SHAIKH AMINKHAN, Director